

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 05/2021-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून, 2021

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन प्रश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले केन्द्रीय कर से उस सीमा तक छूट देती है जितने से की वह उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होती हो, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	2.5%
2	30	टोसीलीजुमेब	शून्य
3	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
4	30	रेमडेसीवीर	2.5%
5	30	हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)	2.5%
6	3002 या 3822	कोविड-19 टेस्टिंग किट्स	2.5%
7	3002 या 3822	इनफ्लोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स , जैसे कि - आई एल 6, डी-डीमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेट डी-हाइड्रोजीनेस), फेरीटीन, प्रो केलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स	2.5%

8	3804 94	हैंड सेनेटाइजर	2.5%
9	6506 99 00	हेलमेट्स, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए	2.5%
10	8417 या 8514	क्रिमेटोरियम में प्रयोग के लिए गैस/इलेक्ट्रिक/ अन्य प्रकार की भट्टियां	2.5%
11	9018 19 या 9804	पल्स ऑक्सीमीटर	2.5%
12	9018	हाई फ्लो नेस्ल कैनुला डिवाइस	2.5%
13	9019 20, 9804	ऑक्सीजन कंसट्रेटर/जनरेटर	2.5%
14	9018 या 9019	वेंटिलेटर	2.5%
15	9019	बाई पीएपी मशीन	2.5%
16	9019	(i) नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्ल मास्क, आईसीयू वेंटिलेटर के लिए (ii) केनुला, वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किए जाने के लिए	2.5%
17	9025	ताप मापक उपकरण	2.5%
18	8702 या 8703	एंबुलेंसेस	6%

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-1)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार